



अति आवश्यक  
आज ही जारी हो

राजस्थान सरकार  
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान राज्य स्वास्थ्य समिति  
स्वास्थ्य भवन, जयपुर

F.29(36)/NRHM/MMJRK/Circular/09 / 7593

Dated: 11-3-10

परिपत्र

जैसा कि आपको विदित है कि मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना का प्रारम्भ राज्य में 1 जनवरी 2009 से किया गया। इस योजना के अन्तर्गत राज्य के बी.पी.एल. परिवारों के मरीजों का मेडिकल कॉलेज से सम्बन्ध चिकित्सालयों, जिला, उपखण्ड एवं सैटेलाईट चिकित्सालयों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के आउटडोर एवं इन्डोर में निःशुल्क इलाज किया जाता है।

इस योजना में मेडिकल कॉलेज एवं इनसे सम्बन्ध चिकित्सालयों में रोग सम्बन्ध उपचार एवं निदान की सुविधा नहीं होने पर राज्य के बाहर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली अथवा स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़ में मरीजों को रैफर भी किया जाता है।


योजना प्रारम्भ होने के पश्चात इस योजना में स्टेट बी.पी.एल. परिवार (जो परिवार वर्ष 1997 में बी.पी.एल. में चयनित थे किन्तु वर्ष 2002 में बी.पी.एल. में चयनित नहीं हुए), आस्था कार्ड धारी परिवार एवं एचआईवी पोजेटिव/ एड्स मरीजों को शामिल किया गया है।

मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा योजना को प्रारम्भ हुए 1 वर्ष से अधिक का समय हो गया है। इस योजना के तहत बीपीएल परिवार के मरीज जयपुर आकर मुख्यमंत्री कार्यालय में समय-समय पर यह शिकायत दर्ज करवाते हैं कि उनका चिकित्सालय में सही इलाज नहीं होता है तथा कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप 7 दिवस में बी.पी.एल. काउन्टर के बाहर एक शिकायत/सुझाव का पीले रंग का बक्सा लगवायेंगे। बक्से पर यह लिखवाया जावे कि "एमएमबीपीएलजेआरके योजना के अन्तर्गत शिकायत/सुझाव"। जिला स्तर के चिकित्सालय एवं मेडिकल कॉलेज से सम्बन्धित चिकित्सालयों के बक्सों की चाबी जिला कलेक्टर/अतिरिक्त जिला कलेक्टर के पास रहेगी। उपखण्ड चिकित्सालयों/सैटेलाईट चिकित्सालयों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के बक्सों की चाबी सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी के पास रहेगी। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की चाबी सम्बन्धित तहसीलदार के पास रहेगी। एक माह की अवधि के पश्चात बक्सों में प्राप्त शिकायत/सुझाव अतिरिक्त जिला कलेक्टर के पास भिजवाये जायेंगे। प्राप्त शिकायतों/सुझावों को सुव्यवस्थित

(Systematic) तरीके से दर्ज कर निस्तारण किया जावेगा। जिला स्वास्थ्य समिति की प्रतिमाह होने वाली बैठक में प्राप्त शिकायतों की संस्थावार Monitoring की जावेगी। राज्य स्तर पर लिये जाने वाले निर्णय से संबंधित शिकायतें एवं सुझाव मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जयपुर को भिजवाये जावेंगे।

पीले रंग के बक्से पर होने वाला व्यय अनटाईड फण्ड/राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी से किया जावेगा। कृपया इस सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही करावें एवं की गई कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करावें।

  
(भवानी सिंह देथा)  
मिशन निदेशक  
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय।
2. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
6. समस्त संभागीय आयुक्त।
7. समस्त जिला कलेक्टर।
8. समस्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्यें राजस्थान जयपुर।
9. समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक/अधीक्षक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल राजस्थान।
10. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्यें राजस्थान।
11. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
12. समस्त उपखण्ड अधिकारी राजस्थान।
13. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/ जिला/सैटेलाईट/उपखण्ड चिकित्सालय।
14. समस्त ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
15. समस्त तहसीलदार राजस्थान।
16. समस्त प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र।
17. समस्त प्रभारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र।
18. प्रभारी सर्वर रूम को प्रेषित कर लेख है कि कृपया सम्बन्धित को ई-मैल करवाने का श्रम करें।

  
मिशन निदेशक  
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन